

Order No:- 203L/2020-21

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 18.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Abhishek Banerjee** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 508 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	SRIJIT DAS	SH. PROSENJIT DAS MOB- 6289631382	2	IIM JOKA
2	AARTI YADAV	SH. RANJIT JADAV MOB- 8167301133	2	IIM JOKA
3	ANIRBAN BHATTACHARJEE	SH. RAJENDRA BHATTACHARJEE MOB- 9231526806	5	IIM JOKA
4	SK TOUSIN ISLAM	SH. SK DIN ISLAM MOB- 8293598431	1	BALLYGUNGE
5	MONOSRIJA SAMANTA	SH. PRADIP KUMAR SAMANTA MOB- 9432175730	3	COMMAND HOSPITAL
6	MASUMA PARVIN AKHAN	SH. MOJAMMEL AKHAN MOB- 7003237412	6	IIM JOKA
7	ANIKET THAKUR	SH. SURESH THAKUR MOB- 8274902472	1	IIM JOKA
8	OISHIK DEB	SH. JAYANTA DEB MOB- 6291335002	1	COMMAND HOSPITAL
9	PRITAM MANDAL	SH. PRASUN KUMAR MANDAL MOB- 9874532001	6	IIM JOKA
10	DEBOPRIYO NASKAR	SH. DEBABRATA NASKAR MOB- 8777072380	7	IIM JOKA

प्रा. ठा. 2

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Abhishek Banerjee माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, KOLKATA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

